संख्या 617/13–XIX–2/03 खाद्य/2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 08 नवम्बर, 2013

विषयः **उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ता हेल्प लाईन की स्थापना किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा अनुदानित आवर्तक व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या 299/आ0ले0शा/पुन0/3456/2013–14, दिनांक 05.09.2013 के कम में राज्य में उपभोक्ता हेल्पलाईन की स्थापना हेतु संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र अनुसार लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 0101–उपभोक्ता कल्याण निधि की स्थापना शीर्षक से रू0 2,50,000.00 (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) का पुनर्विनियोग लेखाशीर्षक 3456 सिविल पूर्ति, 001 निदेशन तथा प्रशासन, 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0106 उपभोक्ता जागृति योजना, 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के अन्तर्गत करते हुये अनुपूरक बजट प्राविधान की धनराशि सहित वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 19,50,000 (रूपये उन्नीस लाख पचास हजार मात्र) आपके निवर्तन में रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष आहरण तथा व्यय भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता हेल्पलाईन की स्थापना तथा संचालन के संबंध में स्वीकृत योजना एवं इस सम्बन्ध में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन केवल योजनान्तर्गत अनुमन्य कार्यों हेतु ही उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों और अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये किया जाएगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग अथवा व्यवर्तन अन्य कार्यों मदों में कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेश एवं तद्विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनॉक 31.03.2014 तक सुनिश्चित करते हुए तत्काल सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

क्रमशः... 2 पर

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 अनुदान संख्या 25 के लेखाशीर्षक 3456–सिविल पूर्ति, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 106–उपभोक्ता जागृति योजना, 20–सहायक अनुदान/ अंशदान/ राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

3– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय सॅ0 62P/XXVII(5)/2013-14 दिनॉक 17.10.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

संख्या 617/13–XIX–2/03 खाद्य/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, सहारानपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ सम्भाग, देहरादून/हल्द्वानी।
5– वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, हल्द्वानी/देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–5/वित्त नियोंजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7– समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव